



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 वैशाख 1942 (श०)

(सं० पटना 300) पटना, बुधवार, 13 मई 2020

सं० 2ब/जला०-01-01/2020-1585/न०वि० एवं आ०वि०
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

30 अप्रैल 2020

विषय:- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत क्रियान्वित ₹2.00 करोड़ तक की वार्डवार जलापूर्ति योजना की निविदा करने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना के तहत ₹2.00 करोड़ तक की योजना/पैकेज की निविदा के लिए उनके द्वारा उपयोग में लाये जा रहे **Model Bidding Document** को यथावत् अंगीकार/लागू करने एवं सभी श्रेणी के संवेदकों द्वारा निविदा में भाग लेने, निविदा निष्पादन की शक्ति के विकेन्द्रीकरण, योजनाओं के तकनीकी अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति की शक्ति का विकेन्द्रीकरण, समय अवधि विस्तार की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण एवं प्रथम बार आमंत्रित एकल निविदा के निस्तारण से संबंधित वर्तमान प्रावधानों/शक्तियों में संशोधन की स्वीकृति।

राज्य सरकार द्वारा संचालित सात निश्चय योजना के तहत एक निश्चय 'हर घर नल का जल' मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन/पर्यवेक्षण नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कुल 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद् एवं 81 नगर पंचायत के सभी वार्डों में किया जाना है।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लक्षित वार्डों में शुद्ध पेय जलापूर्ति हेतु 'हर घर नल का जल' योजना का क्रियान्वयन निविदा आमंत्रित कर संवेदकों के माध्यम से एकरारनामा कर किया जाता है।

3. 'हर घर नल का जल' योजना अन्तर्गत विभाग के लिए कुल लक्षित 3370 वार्ड में जलापूर्ति योजना को निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित गति से पूर्ण किया जाना है।

4. पूर्व में आमंत्रित निविदाओं में उपयुक्त निविदाकारों की कमी रहने के कारण निविदा में भाग नहीं लिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप बहुत सारी निविदाओं में कई बार पुनर्निविदा करनी पड़ रही है। बार-बार पुनर्निविदा आमंत्रण के फलस्वरूप 'हर घर नल का जल' जैसे महत्वाकांक्षी योजना के ससमय क्रियान्वयन में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है।

5. 'हर घर नल का जल' जैसे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु अधिक से अधिक निविदाकारों को निविदा में भाग लिये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु नगर विकास एवं

आवास विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत क्रियान्वित ₹2.00 करोड़ तक की वार्डवार जलापूर्ति योजना की निविदा करने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना के तहत ₹2.00 करोड़ तक की योजना/पैकेज के लिए उनके द्वारा उपयोग में लाये जा रहे **Model Bidding Document** को यथावत् अंगीकार/लागू करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। साथ ही सभी श्रेणी के संवेदकों द्वारा निविदा में भाग लेने की आवश्यकता भी प्रतीत हो रही है।

6. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत अधिकांश नगर निकायों/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/बुडको द्वारा वार्डवार पेयजल आपूर्ति का प्राक्कलन/डीपीआर तैयार कर निविदा के माध्यम से नगर निकायों में जलापूर्ति की योजनाओं का कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध में विभाग स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठकों में नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया जाता रहा है कि निविदा की शर्तों में यदि कुछ छूट दिया जाता है तो इसमें निविदाकारों की भागीदारी बढ़ने की संभावना होगी। जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना के तहत 2.00 करोड़ रुपये तक के वार्डवार योजनाओं के लिए निविदा की शर्तों को सरल एवं व्यावहारिक बनाया गया है तथा निविदा निष्पादन की प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित किया गया है।

योजनाओं की स्वीकृति एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित करने हेतु विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत क्रियान्वित ₹2.00 करोड़ तक की वार्डवार जलापूर्ति योजना की निविदा करने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना के तहत ₹2.00 करोड़ तक की योजना/पैकेज की निविदा के लिए उनके द्वारा उपयोग में लाये जा रहे **Model Bidding Document** को यथावत् अंगीकार/लागू करने, सभी श्रेणी के संवेदकों द्वारा निविदा में भाग लेने एवं विभाग के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों को तकनीकी अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति, निविदा निष्पादन, समय अवधि विस्तार तथा एकल निविदा निस्तार आदि से संबंधित प्रावधानों में आवश्यकतानुसार संशोधन के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में लागू **Model Bidding Document** को यथावत् अंगीकार/लागू करने एवं निविदा निष्पादन आदि से संबंधित कार्यों के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संकल्प संख्या- 2083, दिनांक- 03.06.2019 में उल्लिखित प्रावधानों को यथावत् लागू करने हेतु निम्न बिन्दु प्रस्तावित है :-

- (i) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना के तहत ₹2.00 करोड़ तक की योजना/पैकेज की निविदा के लिए उनके द्वारा उपयोग में लाये जा रहे **Model Bidding Document** को नगर विकास एवं आवास विभाग में 'हर घर नल का जल' योजना के तहत मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत क्रियान्वित कुल ₹2.00 करोड़ तक की वार्डवार जलापूर्ति योजना के लिए यथावत् अंगीकार/लागू करने के संबंध में।
- (ii) सभी श्रेणी के संवेदकों द्वारा निविदा में भाग लेने के संबंध में।
- (iii) निविदा निष्पादन की शक्ति का विकेन्द्रीकरण के संबंध में।
- (iv) योजनाओं के तकनीकी अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण के संबंध में।
- (v) समय अवधि विस्तार की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के संबंध में।
- (vi) प्रथम बार आमंत्रित एकल निविदा के निस्तारण के संबंध में।

7. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संकल्प सं०- 2083, दिनांक- 03.06.2019 (प्रति संलग्न) में उल्लिखित उक्त प्रावधानों के आलोक में प्रस्तावित संशोधन को सम्मिलित करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' योजना के तहत मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत क्रियान्वित कुल राशि ₹2.00 करोड़ तक की वार्डवार जलापूर्ति योजना की निविदा करने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना के तहत ₹2.00 करोड़ तक की योजना/पैकेज की निविदा के लिए उनके द्वारा उपयोग में लाये जा रहे **Model Bidding Document** को यथावत् अंगीकार/लागू करने, सभी श्रेणी के संवेदकों द्वारा निविदा में भाग लेने, निविदा निष्पादन की शक्ति के विकेन्द्रीकरण, योजनाओं के तकनीकी अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण, समय अवधि विस्तार की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण एवं प्रथम बार आमंत्रित एकल निविदा का निस्तारण से संबंधित वर्तमान प्रावधानों में निम्न संशोधन किया जाता है :-

(i) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना के तहत ₹2.00 करोड़ रु० तक की योजना/पैकेज की निविदा के लिए उनके द्वारा उपयोग में लाये जा रहे **Model Bidding Document** को नगर विकास एवं आवास विभाग में 'हर घर नल का जल' मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत क्रियान्वित ₹2.00 करोड़ तक की वार्डवार जलापूर्ति योजना की निविदा करने में यथावत् अंगीकार/लागू किया जायेगा :-

नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन कार्यान्वित किये जाने वाले योजनाओं की निविदा के लिए राशि के आधार पर तीन श्रेणियाँ हैं :-

- (i) ₹50.00 लाख तक की राशि के कार्यों की निविदा।

(ii) ₹50.00 लाख से रु० 200.00 लाख तक की राशि के कार्यों की निविदा।

(iii) ₹200.00 लाख से अधिक राशि के लिए निविदा।

उपर्युक्त कंडिका (i) एवं (ii) पर अंकित राशि की योजनाओं की निविदा के लिए मानक निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप पूर्व में स्वीकृत है। क्रमांक (iii) पर अंकित राशि की योजनाओं के लिए SBD के आधार पर निविदा किया जाता है, जो पूरे राज्य के लिए समान शर्तों के अनुरूप होता है।

₹50.00 लाख से ₹200.00 लाख तक की राशि के कार्यों के लिए मानक निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप की कंडिका 24 में निम्न शर्त है:-

"50 लाख से अधिक की निविदा में संवेदक द्वारा विगत तीन वर्षों में (निविदा तिथि के पूर्ववर्ती माह तक) किसी एक वर्ष निविदा मूल्य के समतुल्य भुगतान प्रमाण-पत्र होना चाहिए अथवा निविदा मूल्य के एक तिहाई मूल्य के बराबर समरूप कार्य का भुगतान प्रमाण-पत्र देना होगा, जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, जिसमें IT, ST, Royalty, Net Payment, Gross Payment सन्निहित होगा।"

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संकल्प 2083 दिनांक-03.06.2019 द्वारा S.B.D के Section-1 (Instructions to Bidders) की कंडिका 4.5A(a) एवं 4.5A(b) को संशोधित कर 'हर घर नल जल' निश्चय योजना के तहत 2.00 करोड़ तक की योजना/पैकेज की निविदा के लिए उनके द्वारा उपयोग में लाये जा रहे Model Bidding Document में शामिल किया गया है।

अतः उपर्युक्त आधार पर निम्न संशोधन किया जाता है :-

संदर्भ (Reference)	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान
1	2	3
नगर विकास एवं आवास विभाग का मॉडल निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप	नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-978 दिनांक-26.07.2017 अन्तर्गत ₹50.00 लाख एवं ₹200.00 लाख तक की राशि के कार्यों की निविदा के लिए मॉडल निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना के तहत ₹2.00 करोड़ तक की योजना/पैकेज की निविदा के लिए उनके द्वारा उपयोग में लाये जा रहे Model Bidding Document को नगर विकास एवं आवास विभाग में 'हर घर नल का जल' मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत क्रियान्वित ₹2.00 करोड़ तक की वार्डवार जलापूर्ति योजना के लिए यथावत अंगीकार/लागू होगा।

भविष्य में इसमें संशोधन हेतु प्रशासी विभाग स्वयं सक्षम होगा।

(II) सभी श्रेणी के संवेदक द्वारा निविदा में भाग लेने के संबंध में :-

'हर घर नल का जल' मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत ₹2.00 करोड़ तक की योजनाओं के लिए आमंत्रित निविदा में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्द्धा बनाये रखने के साथ-साथ पुनर्निविदा की संभावना को नगण्य करने हेतु अधिक से अधिक निविदादाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली अन्तर्गत निबंधित किसी भी श्रेणी के संवेदक द्वारा भाग लेने की स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संकल्प संख्या- 2083, दिनांक- 03.06.2019 द्वारा 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना अन्तर्गत विभिन्न श्रोतों से सम्पादित वार्डवार योजनाओं के मामले में ₹2.00 करोड़ तक की योजनाओं के लिए आमंत्रित निविदा में अधिक से अधिक निविदादाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली अन्तर्गत निबंधित किसी भी श्रेणी के संवेदक को भाग लेने हेतु पूर्व के प्रावधान में संशोधन किया गया है।

उपर्युक्त आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा भी 'हर घर नल का जल' मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत ₹2.00 करोड़ रु० तक की वार्डवार योजना के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संकल्प संख्या -2083, दिनांक- 03.06.2019 के उक्त संशोधित प्रावधान को यथावत् अंगीकार/लागू किया जाता है, जो इस प्रकार है :-

क्र० सं०	संदर्भ (Reference)	श्रेणी	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान
1	2	3	4	5
1.	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007	श्रेणी-1	रु० 3.5 करोड़ से ऊपर की निविदा के लिए	1. 'हर घर नल का जल' मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना अन्तर्गत विभिन्न श्रोतों से कार्यान्वित वार्डवार योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रु० 2.00 करोड़

	का नियम-2	श्रेणी-2	रु० 70.00 लाख से रु० 3.5 करोड़ तक की निविदा के लिए	तक के पैकेज की निविदा में सभी श्रेणी के निबंधित संवेदक भाग ले सकते हैं। 2. श्रेणी-4 में निबंधित किसी एक संवेदक को अधिकतम चार अदद पैकेज/मुप (अधिकतम रु० 8.00 करोड़ तक) की निविदा में ही कार्य आवंटित किया जा सकता है। श्रेणी-4 में निबंधित संवेदक अपने कार्यक्षेत्र में ही निविदा में भाग ले सकेंगे। 3. इन योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी प्रकार का अग्रिम का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा। 4. कार्य निष्पादन के विरुद्ध विभिन्न चरण पर भुगतान का milestone प्रशासी विभाग निर्धारित करेगा।
		श्रेणी-3	रु० 70.00 लाख से कम की निविदा के लिए	
		श्रेणी-4	रु० 25.00 लाख से कम की निविदा के लिए	

(III) निविदा निष्पादन की शक्ति:-

'हर घर नल का जल' मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत ₹2.00 करोड़ तक की राशि की वार्डवार योजना की निविदाओं का कार्यपालक अभियंता के स्तर से निष्पादित किये जाने से निविदा निष्पादन की कार्यवाही त्वरित गति से संभव हो सकेगा।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संकल्प संख्या- 2083, दिनांक- 03.06.2019 द्वारा 'हर घर नल का जल' निश्चय योजनान्तर्गत ₹2.00 करोड़ रु० तक की विभिन्न स्रोतों से कार्यान्वित वार्डवार योजनाओं की निविदा निष्पादन की शक्ति के विकेन्द्रीकरण के क्रम में पूर्व के प्रावधान में संशोधन किया गया है।

उपर्युक्त आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा भी 'हर घर नल का जल' मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत ₹2.00 करोड़ तक की वार्डवार योजना के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संकल्प संख्या- 2083, दिनांक- 03.06.2019 के उक्त संशोधित प्रावधान को यथावत् अंगीकार/लागू किया जाता है, जो इस प्रकार है :-

क्र० सं०	संदर्भ (Reference)	सक्षम प्राधिकार	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान
1	2	3	4	5
1.	बिहार लोक निर्माण संहिता का नियम- 294 (VIII) नगर विकास एवं आवास विभाग का संकल्प 3580 दिनांक- 13.07.2015	कार्यपालक अभियंता	रु० 25.00 लाख तक की निविदा निष्पादन की शक्ति	कार्यपालक अभियंता की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति को रु० 2.00 करोड़ तक की निविदा परिमाण विपत्र (BOQ) की राशि से 10 प्रतिशत ऊपर तक। कार्यपालक अभियंता स्तर पर गठित निविदा समिति निम्नवत् प्रस्तावित है:- 1. कार्यपालक अभियंता - अध्यक्ष 2. योजना से संबंधित सहायक अभियंता - सदस्य 3. प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी - सदस्य
	बिहार लोक निर्माण संहिता का नियम- 295 (I) नगर विकास एवं आवास विभाग का संकल्प 3580 दिनांक- 13.07.2015	सहायक अभियंता	निविदा निष्पादन की शक्ति- शून्य	निविदा निष्पादन की शक्ति- शून्य

(IV) योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति:-

'हर घर नल का जल' मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत ₹2.00 करोड़ तक की राशि की वार्डवार योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता के स्तर से किये जाने से योजनाओं का प्रशासनिक अनुमोदन एवं निविदा की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जा सकती है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संकल्प संख्या-2083, दिनांक- 03.06.2019 द्वारा 'हर घर नल का जल' निश्चय योजनान्तर्गत ₹2.00 करोड़ रु० तक की राशि की विभिन्न स्रोतों से क्रियान्वित वार्डवार योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति के विकेन्द्रीकरण के क्रम में पूर्व के प्रावधान में संशोधन किया गया है।

उपर्युक्त आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा भी 'हर घर नल का जल' मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत ₹2.00 करोड़ तक की वार्डवार योजना के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संकल्प संख्या- 2083, दिनांक- 03.06.2019 के उक्त संशोधित प्रावधान को यथावत् अंगीकार/लागू किया जाता है, जो इस प्रकार है :-

क्र० सं०	संदर्भ (Reference)	सक्षम प्राधिकार	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान
1	2	3	4	5
(i)	बिहार लोक निर्माण संहिता का नियम- 294 (II) नगर विकास एवं आवास विभाग का संकल्प 3580 दिनांक- 13.07.2015	कार्यपालक अभियंता	₹10.00 लाख से ₹50.00 लाख तक	₹2.00 करोड़ तक
(ii)	बिहार लोक निर्माण संहिता का नियम- 295 (III) नगर विकास एवं आवास विभाग का संकल्प 3580 दिनांक- 13.07.2015	सहायक अभियंता	₹10.00 लाख तक	शून्य

(V) समय अवधि विस्तार:-

विभिन्न कारणों से निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण करने में कठिनाई होने से समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता हो रही है।

निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में वर्तमान प्रावधान के आलोक में समय वृद्धि की स्वीकृति के पश्चात् ही संवेदकों को उनके द्वारा सम्पादित कार्य का भुगतान किया जाना है। समय विस्तार की स्वीकृति के अभाव में संवेदकों को विलम्ब से भुगतान होने की स्थिति में कार्य की प्रगति पर कुप्रभाव पड़ता है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संकल्प संख्या-2083, दिनांक- 03.06.2019 द्वारा 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना के त्वरित कार्यान्वयन हेतु ₹2.00 करोड़ रु० तक की वार्डवार योजनाओं में समय वृद्धि हेतु वर्तमान शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के क्रम में पूर्व के प्रावधान में संशोधन किया गया है।

उपर्युक्त आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा भी 'हर घर नल का जल' मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत ₹2.00 करोड़ तक की वार्डवार योजना के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संकल्प संख्या-2083, दिनांक- 03.06.2019 के उक्त संशोधित प्रावधान को यथावत् अंगीकार/लागू किया जाता है, जो इस प्रकार है :-

शक्तियों का स्वरूप	वर्तमान में प्रावधानित शक्तियों की सीमा	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान
1	2	3
292 (XVI) (ii) सभी एकरारनामा या ठेके में उपबंधित समय-सीमा में फेरबदल करना और अर्थ-दण्ड माफ अथवा कम करना	1. पूर्ण शक्ति, उच्चतर प्राधिकार द्वारा निष्पादित मामलों को छोड़कर- मुख्य अभियंता। 2. 3.50 करोड़ से अधिक की निविदा से संबंधित मामले में समय विस्तार की स्वीकृति की पूर्ण शक्ति प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति की होगी।	1. छः माह से अधिक अवधि के लिए समय विस्तार की स्वीकृति की पूर्ण शक्ति-मुख्य अभियंता। 2. दो माह से छः माह तक की अवधि के लिए समय विस्तार की स्वीकृति की पूर्ण शक्ति - अधीक्षण अभियंता। 3. दो माह तक की अवधि के लिए मात्र एक बार समय विस्तार की स्वीकृति की पूर्ण शक्ति- कार्यपालक अभियंता।

(VI) प्रथम बार आमंत्रित एकल निविदा का निस्तारण:-

वर्तमान प्रावधान के अनुसार प्रथम बार आमंत्रित निविदा एकल होने की स्थिति में पुनर्निविदा आमंत्रित किया जाना अनिवार्य है तथा दूसरी बार आमंत्रित निविदा के एकल होने की स्थिति में इसका निष्पादन एक ऊपर के स्तर के पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। पुनर्निविदा की स्थिति में कार्य आवंटन में विलम्ब हो जाता है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संकल्प संख्या-2083, दिनांक- 03.06.2019 द्वारा 'हर घर नल का जल' निश्चय योजनान्तर्गत ₹2.00 करोड़ तक की राशि की विभिन्न स्रोतों से क्रियान्वित वार्डवार योजनाओं में प्रथम बार आमंत्रित निविदा एकल होने की स्थिति में निविदा के निष्पादन हेतु पूर्व के प्रावधान में संशोधन किया गया है।

उपर्युक्त आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा भी 'हर घर नल का जल' मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत ₹2.00 करोड़ तक की वार्डवार योजना के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संकल्प संख्या- 2083, दिनांक- 03.06.2019 के उक्त संशोधित प्रावधान को यथावत् अंगीकार/लागू किया जाता है, जो इस प्रकार है :-

शक्तियों का स्वरूप	वर्तमान में प्रावधानित शक्तियों की सीमा	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान
1	2	3
बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका- 163 पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या- 3162 दिनांक-09.05.2016 पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-7521(S) दिनांक-28.09.2018	(1) ऐसे मामले जहाँ मूल्यांकन हेतु एक से अधिक वित्तीय बोली (Financial Bid) शेष हो तो न्यूनतम दर अनुमोदित किए जाएंगे। एक से अधिक निविदादाता का दर समान रहने की स्थिति में संबंधित निविदादाताओं की उपस्थिति में लॉटरी के माध्यम से निविदादाता का चयन होगा। (2) तकनीकी बोली (Technical Bid) के मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय बोली (Financial Bid) के मूल्यांकन हेतु मात्र एक निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो तो तुरन्त दोबारा निविदा आमंत्रित की जाएगी। परन्तु आपवादिक परिस्थिति में, ऐसी एकल वित्तीय बोली वाली निविदा पर प्रधान सचिव/ सचिव की अध्यक्षता वाली विभागीय निविदा समिति द्वारा ऐसे कार्यों के लिए विभागीय मंत्री का इस आशय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् निर्णय लिया जा सकेगा कि प्रासंगिक परिस्थिति प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य आपातकालीन प्रकृति की स्थिति, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, पड़ोसी देशों से हितकारी संबंधों इत्यादि के कारण है। संबंधित कार्य के निविदा आमंत्रण के पूर्व ही विभागीय मंत्री का उक्त अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। (3) पुनर्निविदा आमंत्रण के पश्चात् भी यदि तकनीकी बोली के मूल्यांकन के उपरान्त वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु मात्र एक निविदा शेष रह जाती है तो ऐसे मामले का निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के ऊपर के प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। परन्तु ऐसी निविदाएँ जिसके निष्पादन हेतु प्रधान सचिव/ सचिव की अध्यक्षता वाली विभागीय निविदा समिति सक्षम प्राधिकार है तो इस समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा ऐसे मामलों को विभागीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।	(1) प्रथम बार आमंत्रित निविदा में यदि तकनीकी बोली के मूल्यांकन के उपरान्त वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु मात्र एक निविदा शेष रह जाती है तो ऐसे मामले का निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के ऊपर के प्राधिकार द्वारा किया जाएगा बशर्तें उक्त निविदा का निविदित दर परिमाण विपत्र की राशि के समतुल्य से अधिक नहीं होगा।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

9. प्रस्ताव पर पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्यपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 300-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

